

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:- 34/अ-59/2017-18/629

बैतूल दिनांक 15/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत मालेगोंव जनपद पंचायत मुलताई के पत्र क्रमांक-आबादी/ग्रा.पं./2016/क्यू, दिनांक 2-12-2016 द्वारा ग्राम मालेगोंव तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 260 रकबा 0.587 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2- सरपंच ग्राम पंचायत मालेगोंव के उक्त पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा मालेगोंव तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 260 रकबा 0.587 हेक्टेयर मद घोंस की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 2-10-2016 को आयोजित ग्राम सभा में, मौजा मालेगोंव स्थित खसरा नंबर 260 रकबा 0.587 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा मालेगोंव तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 260 रकबा 0.587 हेक्टेयर भूमि शासकीय दर्ज है, तथा निस्तार पत्रक के अनुसार उक्त खसरा नंबर घोंस मद में दर्ज है।

(4)- ग्राम टिगरिया का मकबूजा रकबा 429.212 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 10.060 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से माने से 8.584 हेक्टेयर चरनोई का न्यूनतम रकबा उपलब्ध रहना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम में 10.060 हेक्टेयर चरनोई मद की भूमि उपलब्ध है। चरनोई मद की भूमि में से, मद परिवर्तन (आबादी) हेतु प्रस्तावित रकबा 0.587 हेक्टेयर कम करने के उपरांत भी ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)- नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) द्वारा मौजा मालेगोंव तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 260 रकबा 0.587 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) के मत से सहमत होते उक्त खसरा नंबर की भूमि का मद परिवर्तन करके आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-237 (3) के अनुसार चारागाह, घोंस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए व्यवर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी

कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा संशोधक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व



संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा मालेगॉव तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 260 रकबा 0.587 हेक्टेयर मद घॉस को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाए।

11



(मूलकान्द वसी)
अपर कलेक्टर 15/11/2018
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:-34/अ-59/2017-18/ 629

बैतूल दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई।
- 2- नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त)।
- 3- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 5- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 6- सचिव ग्राम पंचायत मालेगॉव जनपद पंचायत मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल. 15/11/18

15/01/18